राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु

❖ गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें क ख एवं ग क्षेत्रों के लिए हिन्दी की प्रगति के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2016–17 में क' क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/विद्यालयों के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :–

1 **हिन्दी में मूल पत्राचार**

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 100 प्रतिशत
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100 प्रतिशत
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65 प्रतिशत

2 **हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जानाः–100 प्रतिशत**

3 **हिन्दी में टिप्पण :– 75 प्रतिशत**

4 **हिन्दी में डिक्टेशन :–65 प्रतिशत**

5 **हिन्दी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री :–100 प्रतिशत**

6 **जर्नल एवं मानक संदर्भ प्रस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के लिए कुल अनुदान में से हिन्दी पुस्तकों में किया जाने वाला व्ययः–50 प्रतिशत**

7 **कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीदः–100 प्रतिशत**

8 **विद्यालय की वेबसाइटः–100 प्रतिशत(द्विभाषी)**

9 **जनसूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शनः–100 प्रतिशत(द्विभाषी)**

10.राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी बैठकेंः–वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही में एक)

❖ राजभाषा नीति संबंधी अन्य प्रमुख निदेश

❖ राजभाषा नियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले निम्न दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएँ ।

- सामान्य आदेश (सभी आदेश, निर्णय, परिपत्र, अनुदेश, ज्ञापन, नोटिस आदि), अधिसूचनाएं, संविदाएँ, लाइसेंस, प्रेस विज्ञप्तियॉ, करार, परमिट, टेंडर फार्म/टेंडर नोटिस,संकल्प, नियम, संसद में प्रस्तुत सरकारी कागज–पत्र, संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट ।

❖ राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश जारी करना

इस नियम के अंतर्गत विद्यालय के प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए आदेशित किया जाना चाहिए जिससे हिंदी भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी भाषा में ही संपादित करें ।

- ❖ हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट विधिवत आंकडों सहित तिमाही समाप्त होने के 10 दिवस के भीतर कार्यालय को भिजवाएँ तथा तिमाही रिपोर्टों के साथ केविसं(मु) से जारी किया गया राजभाषा प्रपत्र क एवं ख भी विधिवत पूर्ण करके तिमाही रिपोर्ट के साथ संलग्न करें ।
- ❖ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में प्रशासनिक प्रमुख/प्रचार्यो का शामिल होना अनिवार्य है ।
- ❖ कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने के लिए केवल यूनिकोड का ही प्रयोग किया जाए
- ❖ विद्यालयों को प्रायः विभिन्न उद्देश्यों के लिए विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की आवश्यकता पड़ती है । अतः कोई भी विज्ञापन जारी करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए किहिन्दी भाषा में जारी किए गए विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय अंग्रेजी विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत हो तथा विज्ञापनों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें।
- ❖ सहायक आयुक्तों द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले विद्यालय निरीक्षणों पर कार्यालय स्तर पर तैयार किया गया राजभाषा निरीक्षण प्रारूप विधिवत पूर्ण करके सहायक आयुक्तों को सौपें ।

❖